

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ/राज. जयपुर
क्रमांक :- ई-18/एम/से.नि./जोन जयपुर /2023/595 दिनांक : 23/8/23

संशोधन आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/से.नि./जोन जयपुर/2023/172 दिनांक 14.02.2023 के द्वारा क्रम संख्या 2 पर अंकित श्री श्योबक्सा राम, वरिष्ठ सहायक को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर राज्य सेवा से सेवानिवृत्त आदेश जारी किये गये थे में पदौन्नति पश्चात् पदनाम वरिष्ठ सहायक के स्थान पर सहायक प्रशासनिक अधिकारी पढा जावें।

आदेश की शेष शर्तें यथावत रहेगी।

(सुरेश नवल)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/ से.नि./जोन जयपुर /2023/595 दिनांक : 23/8/23
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।
3. अधीक्षक श्री कल्याण राजकीय चिकित्सालय सीकर।
4. प्रभारी, डीपीसी अनुभाग, मुख्यालय।
5. प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावे सम्बन्धित कर्मचारी को सूचनार्थ।
6. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान, जयपुर